राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 30/2022

पीठासीन अधिकारी—श्री गौरव कुमार मित्तल, आर.ए.एस.

राज्य सरकार बनाम करतारसिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित— 1. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

2. श्री शांतिलाल ढ़ेल, अरविन्द दाधीच अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय दिनांक 19.12.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी पेश कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ़ की कृषि भूमि ख0न0 465 रकबा 2.8719 है0 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। खनिज अभियन्ता अजमेर ने पत्र कमांक/ख0अ0/अना0/2022/732 दिनांक 07.09.2022 के जरिये भूमि ख0न0 465 में अवैध खनन होना बताते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के खातेदारी अधिकार निरस्त करने बाबत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल करने की प्रार्थना करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो गलत, निराधार आधारो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर कोई अवैध खनन नहीं किया है अवैध खनन के सम्बन्ध में खनिज अभियन्ता अजमेर द्वारा पुलिस थाना रूपनगढ़ में एक एफ.आई.आर. नं. 142 दिनांक 10.7.2021 को दर्ज करवाई गयी जिसमें दौराने अनुसंधान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात्रि में खनन किया जाना तथा अप्रार्थी संख्या 1 की संलिप्तता नहीं होना पाया जाने पर मुकदमें मे एफ.आर. अदम पता में न्यायालय में दिनांक 09.12.2021 को एफ.आर.संख्या 140/2021 प्रस्तुत की जा चुकी है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा परिवादी के पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होने के कारण स्वीकार की जाकर दिनांक 08.12.2023 को स्वीकार की जा चुकी है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई अवैध खनन नहीं किया गया है बल्कि अज्ञात व्यक्तियों ने रात्रि में मौके का फायदा उठाकर खनन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 18.9.2023 को प्रार्थी तहसीलदार रूपनगढ़ को दिनांक 17.9.2023 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ख0न0 465 एवं ख0न0 469 में रात्रि में अवैध खनन की शिकायत की गयी थी जिस पर दिनांक 03.12.2023 को पटवारी हल्का पनेर द्वारा मौका देखा जाकर मौका पर्चा तैयार किया था जिसमें अवैध खननकर्ता अज्ञात होना वर्णित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में भी सन् 2010, 2017 में इस सम्बन्ध में शिकायते उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ एवं तहसीलदार रूपनगढ़ को प्रस्तुत की गयी थी किन्तु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध बिना किसी आधार पर बिना किसी वाद कारण के यह प्रार्थना पत्र गलत व निराधार रूप से प्रस्तुत किया गया है जो वाद कारण के अभाव में विधिक रूप से पोषणीय नहीं है एवं खारिज होने योग्य है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किये जाने के तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधितः वर्जित एवं वाद कारण के अभाव में खारिज करने की कृपा करावें।

वकील प्रार्थी (मूल प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी का राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ (मूल प्रकरण में प्रार्थी) की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब में कथन किया कि खनिज अभियंता अजमेर व पटवारी हल्का पनेर के संयुक्त मौका पंचनामा दिनांक 10.7.2021 के अनुसार वक्त जांच ख0न0 465 में अवैध खनन होना पाये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 करतारसिंह वगैरह के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व दावा प्रस्तुत किया है। मौका पर्चा भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का पनेर के अनुसार वर्तमान में संवत् 2081 में वर्णित भूमि में चवला फसल की बुवाई हो रखी है। जवाब के साथ संलग्न प्रमाणित संयुक्त मौका पर्चा भू–अभिलेख निरीक्षक रूपनगढ़ व पटवारी हल्का पनेर दिनांक 1.7.2024 अनुसार ख0न0 465 के दक्षिण–पश्चिम कोने पर लगभग 0.56 है0 भूमि जिसका तल का स्तर पास में स्थित नदी के समानान्तर है एवं संवत् 2081 फसल खरीफ जींस चवला की बुवाई हो रखी है। वर्तमान में खनन से संबंधित कोई निशानात नजर नही पाये गये है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण में वकील अप्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ की बहस सुनी गयी। वकील अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार समाप्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र गलत एवं निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। वकील अप्रार्थी ने फर्द दस्तावेज एफ.आर. नं. 140/2021 का हवाला देते हुए कथन किया कि दौराने पुलिस अनुसंधान कार्यवाही में यह वर्णित किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्यों से किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी छिपे श्री करतारसिंह के खेत खसरा नम्बर 465 रकबा 2.8719 हैक्टेयर भूमि में से सरकारी नदी की तरफ से करीब 3 से 4 बीघा भूमि में रात्रि के समय अवैध खनिज बजरी का खनन कर परिवहन करना पाया गया। प्रकरण में नामजद खातेदार श्री करतारसिंह की संलिप्तता नहीं पायी गई। पुलिस अंतिम प्रतिवेदन के आधार अवैध खनिज बजरी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है ये तथ्य सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ़ में निर्णित प्रकरण शिवान ब्रिटो बनाम सरकार प्रकरण में प्रार्थी शिवान ब्रिटो ने पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होना जाहिर किया है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पैरोकार सरकार तहसीलदार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज यथा तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पेश जवाब, थाना रूपनगढ़ द्वारा पेश अंतिम प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन couse of action कारित नही होता है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)